राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 166/2019
जीसीएमएस नम्बर – 2021/00344

रमेशसिंह उर्फ महेश सिंह पुत्र श्री पोपसिंह जाति राजपुत निवासी फरट तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं।

.........**वादीगण**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ।
2. सवाई सिंह पुत्र पोपसिंह
3. पोपसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुत निवासी फरट
4. नरेश कुमार
5. बन्शीलाल
6. रमेश कुमार
7. हरेन्द्रकुमार

   } झाबरराम जाति जाट निवासी सुखाराम का बास फरट
8. माली देवी पत्नी झाबरराम जाति जाट निवासी सुखाराम का बास फरट
9. शाखा प्रबन्धक बडौदा राज. ग्रा. बैक शाखा काजडा।
10. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा सूरजगढ।

..........**प्रतिवादीगण**

<u>दावा बाबत –धोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती</u>

1. वादी की ओर से –श्री सुरेन्द्र सिंह तंवर एडवोकेट उपस्थित।
2. प्रतिवादी की ओर से – एक पक्षीय कार्यवाही

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 12/7/21

(उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ — मुहर)

(1) वादी की ओर से वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

(क) वाके ग्राम फरट रिथत भूमि खसरा नम्बर 139 रकबा 1.18 है. में वर्तमान राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कर उक्त भूमि के वर्तमान राजस्व में वादी रमेशसिंह पुत्र

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ

Scanned with CamScanner

पोपसिंह राजपुत निवासी फश्रट का नाम जो तत्समय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र असमाना बहक सवाईसिंह, महेश सिंह दिनांक 05.10.1995 में सहवन से रमेश सिंह की बजाय उपनाम महेशसिंह दर्ज हो गया। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.10.1995 के आधार पर तत्समय भू– अभिलेख में दर्ज हो गया जो हजफ किया जावे। वादी का नाम शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, आदि में दर्ज रमेश सिंह पुत्र पोपसिंह किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

(2) दावा दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। सभी प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। बावजूद सम्यक तामील के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

(3). वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल जमाबंदी जमाबंदी सं. 2074–757, नक्शा ट्रेस पेश किए गए।

(4). बहस सुनी गई।

(5). पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। अतः न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश ::–

न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः (1) वाके **ग्राम फरट** तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनूं राज. स्थित भूमि खाता 118 के हाल खसरा नम्बर 139 रकबा 1.18 है. में वादी का नाम महेशसिंह पुत्र पोपसिंह के स्थान पर रमेशसिंह पुत्र पोपसिंह दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाता है। रहन यदि कोई है तो वादी के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ

निर्णय आज दिनांक 12/7/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

Scanned with CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सूरजगढ जिला झुन्झुनू (राज.)

पिठासीन अधिकारीः– अभिलाषा आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं:– 166/2019
निर्णय दिनांकः– 12/7/21

रमेशसिंह **बनाम** राज. सरकार आदि

दावा बाबत– धोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती

वादी की ओर से **श्री सुरेन्द्र सिंह एडवोकेट** की उपस्थिती मे व प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12/7/21 को **श्री अभिलाषा उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और प्राथमिक डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः (1) वाके ग्राम फरट तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनूं राज. स्थित भूमि खाता 118 के हाल खसरा नम्बर 139 रकबा 1.18 है. में वादी का नाम महेशसिंह पुत्र पोपसिंह के स्थान पर रमेशसिंह पुत्र पोपसिंह दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाता है। रहन यदि कोई है तो वादी के हिस्से में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 12/7/21 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

उपखण्ड अधिकारी * सूरजगढ *

Scanned with CamScanner